

उत्तराखण्ड शासन  
वित्त(वै0आ0-सा0नि0) अनुभाग-7  
संख्या——/XXVii(7)02/2016  
देहरादून: दिनांक७ मई, 2018

कार्यालय-ज्ञाप

**विषय:** पांचवे केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार वेतन आहरित कर रहे राज्य सरकार और स्वायत्त निकायों/उपकर्मों के कर्मचारियों के लिए मंहगाई भत्ते की संशोधित दरों का निर्धारण।

वित्त विभाग के शासनादेश संख्या—268 /XXVII(7)02 /2016 दिनांक 07 नवम्बर, 2017 द्वारा राज्य सरकार और स्वायत्तशासी निकायों/उपकर्मों के उन कर्मचारियों के लिए जिनका वेतन भिन्न-भिन्न कारणों से छठवें एवं सातवें वेतन आयोग के अनुसार संशोधित नहीं किए गए हैं, के सम्बन्ध में दिनांक 01 जुलाई, 2017 से उन्हें अनुमन्य मूल वेतन का 268% की दर से मंहगाई भत्ता स्वीकृत किया गया है।

2. भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या -1(3)2008-ई.॥(बी) दिनांक 28 मार्च, 2018 द्वारा उक्त वर्ग के कार्मिकों के लिए रवीकार्य मंहगाई भत्ते की दर दिनांक 01 जनवरी, 2018 से 268% से बढ़ाकर 274% कर दी गयी है।

3. भारत सरकार के उक्त वर्णित पत्र दिनांक 28 मार्च, 2018 के कम में राज्य सरकार और राज्य स्वायत्त निकायों/उपकर्मों के उन कर्मचारियों को जो पांचवे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार वेतन भत्ते आहरित कर रहे हैं अथवा जिनका वेतन अभी सातवें एवं छठवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के कम में पुनरीक्षित नहीं किया गया है, को उन्हें स्वीकार्य मंहगाई भत्ते की दर 01 जनवरी, 2018 से गौजूदा 268% से बढ़ाकर 274% किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

4. मंहगाई भत्ता स्वीकृत करने के सम्बन्ध में अन्य शर्तें एवं प्रतिबन्ध जो इससे पूर्व निर्गत शासनादेशों में निर्धारित किये गये हैं, यथावत् लागू रहेंगे।

5. उक्त कार्मिकों को पुनरीक्षित मंहगाई भत्ता दिनांक 01 जनवरी, 2018 से 30 अप्रैल, 2018 तक (सेवानिवृत्त एवं 06 माह के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों को नगद भुगतान) की बढ़ी हुई धनराशि उनके भविष्य निधि खाते में जगा की जायेगी तथा दिनांक 01 मई, 2018 से नकद भुगतान किया जाएगा, परन्तु अंशदायी पेंशन योजना से आव्यादित कार्मिकों के अवशेष (एरियर) देयक में से 10% पेंशन अंशदान तथा उतनी ही धनराशि नियोक्ता के अंश के साथ नई पेंशन योजना से सम्बन्धित खाते में जमा की जायेगी तथा शेष धनराशि नगद भुगतान की जायेगी।

(अमित रिंह नेगी)  
संचिव।

संख्या— 145/xxvii(7)02/2016, तददिनांक।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. समरत अपर मुख्य सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
4. सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. प्रमुख सचिव/सचिव, शहरी विकास विभाग/सार्वजनिक उद्यम विकास विभाग, सत्तराखण्ड शासन को इस आशय से प्रेषित कि निकाय/उपक्रम की वित्तीय स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए अपने अधीनस्थ निकाय/उपक्रम के कार्मिकों को भंगाई भत्ता अनुमन्य किये जाने के साबंध में यथाप्रक्रिया रवयं निर्णय ले सकते हैं तथा इस सम्बन्ध में वित्त विभाग की सहमति की आवश्यकता नहीं होगी।
6. महानिबन्धक, गाठ उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड।
7. मुख्य स्थानिक आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
8. समरत मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, कानपुर/देहरादून।
10. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएँ, उत्तराखण्ड, देहरादून।
11. निदेशक, लेखा हकदारी, 23 लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।
12. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
13. वित्त आडिट प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड।
14. निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड, देहरादून।

आज्ञा से,

(अमित सिंह नेगी)

सचिव।